राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांक प. 5(2)कार्मिक/क–2/91पार्ट

जयपुर, दिनांकः 15.04.2013

निदेशक,
मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग,
राजस्थान, जयपुर ।

विषयः– शुद्धि पत्र (राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एव अधीनस्थ सेवा नियम, 1992) का राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन कराये जाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निदेशानुसार लेख है कि इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 10.01.13 जो हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में राजस्थान के राजपत्र विशेषांक भाग 4(ग) (1) जी.एस.आर. 88 दिनांक 11.01.13 के अधीन पृष्ठ संख्या 145 (1) से 145(5) पर प्रकाशित हुई है, में उत्पन्न अशुद्धियां/त्रुटियों के निवारण हेतु इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक शुद्धि पत्र दिनांक 15.4.2013की प्रति राजस्थान राजपत्र भाग 4(ग) (1) के आगामी अंक में प्रकाशित कराये जाने की व्यवस्था हेतु अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्राधिकृत पत्र जारी करने की व्यवस्था करें ।

भवदीय,

(दिनेश कुमार यादव)
संयुक्त शासन सचिव
संयुक्त शासन सचिव
कार्मिक (क–2) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

प्रतिलिपिः–

1. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को दिनांक 15.4.2013के राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग 4(ग) (1) जी.एस.आर. में प्रकाशित कराये जाने हेतु प्रेषित है । कृपया शुद्धि पत्र से संबंधित राजपत्र की तीन प्रतियां इस विभाग को भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें ।
2. सहायक शासन सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय को मंत्रिमण्डल की आज्ञा संख्या **249/2012** दि0 21.12.12 के संदर्भ में ।
3. शासन सचिव एवं आयुक्त, सूचना प्रोद्यौगिकी एवं संचार विभाग।
4. सहायक शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–7) विभाग को 9 अति0 प्रतियों के साथ ।
5. विधि (संहिताकरण)/विधि पुस्तकालय/सहायक विधि प्रारूपकार (प्रारूपण)।
6. महालेखाकार, लेखापरीक्षा, राजस्थान, जयपुर ।

संयुक्त शासन सचिव
संयुक्त शासन सचिव
कार्मिक (क–2) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को भीः–

1– सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को 25 प्रतियों के साथ ।
2– सचिव, राजस्थान विधान सभा(अधीनस्थ विधान संबंधी समिति) जयपुर को 20 प्रतियों के साथ ।
3– रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर/राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ।
4– सचिव, राजस्थान लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर ।
5– सम्पादक, शिविरा/सचिवालय संदेश/लेखाविज्ञ ।
6– निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, जयपुर को समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु ।
7– रजिस्ट्रार, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली को 5 प्रतियों सहित ।

संयुक्त शासन सचिव
संयुक्त शासन सचिव
कार्मिक (क–2) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को भी :–

1– प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर ।
2– प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री राजस्थान, जयपुर ।
3– उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर ।
4– निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग ।
5– एसीपी, कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
6. अद्यतन लिपिक को 5 प्रतियों में ।
7– गार्ड फाईल ।

संयुक्त शासन सचिव
संयुक्त शासन सचिव
कार्मिक (क–2) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

Gan./forwardingnot/2013/16

26/2013

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांकः–प. 5(2)कार्मिक / क–2 / 91पार्ट

जयपुर, दिनांकः– 15.4.2013

शुद्धि पत्र

विषयः– राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992

इस विभाग की समसंख्यक हिन्दी अनुवाद की अधिसूचना दिनांक 10.01.2013 जो दिनांक 11.01.2013 के राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग–4 (ग) (1) में जी. एस. आर. 88 के अधीन पृष्ठ संख्या 145 (1) से 145 (5) पर प्रकाशित हुई है, में कम संख्या–4 के शीर्षक "अनुसूची– I में संशोधन" के अन्तर्गत क्लॉज (ii) के पैरा (1) (पृष्ठ 145 (2)) में आई अभिव्यक्ति **"बी.ई. / बी.टेक. / एम.एस.सी."** एवं **"या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त"** के बीच अभिव्यक्ति **"या एम.सी.ए."** पढ़ी जावे।

आज्ञा से,

(दिनेश कुमार यादव)
संयुक्त शासन सचिव
कार्मिक (क–2) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर

26/2013

Notification/2013